सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-30 अंक-4 21 फरवरी से 7 मार्च , 2015 मुख्य संपादक - कृष्ण चक्रवर्ती E-mail :sarvaharadrishtikon@gmail.com मूल्य : 2 रुपये

कोलकाता में जन अवज्ञा रैली पर पुलिस का बर्बर हमला

रैली की अगली कतार में चल रहे एसयूसीआई(सी) के पश्चिम बंगाल नेतागण

एक कार्यकर्ता को सड़क पर डाल कर पीटते हुए पुलिस

5 फरवरी को 18 सूत्री मांगों को लेकर एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के आह्वान पर कानून भंग आन्दोलन में पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में 107 लोग घायल हुए। 35 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक की आंख फूट गई। इस पुलिसिया बर्बरता को राज्य भर में धिक्कार दिया गया।

कोलकाता: 5 फरवरी को जन आन्दोलन के कार्यकर्ताओं के खून से एक बार फिर लथपथ हो गया कोलकाता का राजपथ। लोग काफी दिनों से सड़कों, घरों और घरों से बाहर, बस-ट्रामों में हताशा से सवाल करते थे कि इतना अत्याचार, महंगाई बढ़ रही है, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, राजनैतिक संरक्षण मिलने से बलात्कारी मनमानी करते घूम रहे हैं--क्या इसका कोई प्रतिकार नहीं है? देश में क्या ऐसी कोई भी राजनैतिक पार्टी नहीं है जो इसके खिलाफ प्रतिवाद-प्रतिरोध में डट कर खड़ी हो सके? 5 फरवरी मानो लोगों के इन्हीं सब सवालों के जवाब के तौर पर आगे आया--हाँ है। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ऐसी राजनैतिक पार्टी है, जो जुझारू वामपंथ और मार्क्सवाद-लेनिनवाद का झण्डा लेकर गाँव-शहरों में, राह-घाटों पर जनहित को लेकर जरूरत पड़ने पर खून बहा कर लड़ाई लड़ रही है। जो वोट लेकर उड़ जाने वाले पक्षियों में से नहीं है, सत्तालोलुप पार्टी नहीं है। 5 फरवरी को जब कॉलेज स्क्वायर पर नारों से मुखर जुलूस धर्मतला की तरफ बढ़ रहा था, सड़क के दोनों तरफ के लोगों को आशा की किरण देखने को मिल रही थी। कह रहे थे कि इसी एक पार्टी पर विश्वास किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। वे सड़क पर उतरे हैं।, लड़ाई लड़ेंगे, खून बहा देंगे, लेकिन समझौता नहीं करेंगे।(शेष पृष्ठ 4 पर)

पुलिस की मार से आँख गवां बैठा उत्तम पाड़ूई

निहत्थे छात्र कार्यकर्ता उत्तम पाड़ूई को चारों तरफ से घेर कर बेरहमी से पीटते हुए पुलिस

दिल्ली में मिशनरी स्कूल में तोड़फोड़ की एस.यू.सी.आई.(सी) ने की निन्दा

होली चाइल्ड ओक्सीलियम स्कूल में तोड़फोड़ की निन्दा करते हुए एस.यू.सी.आई.(सी) दिल्ली राज्य सांगठनिक सचिव कॉ. प्रताप सामल ने निम्नलिखित बयान जारी किया:

वसंत विहार स्थित मिशनरी स्कूल होली चाइल्ड ओक्सीलियम स्कूल में तोड़फोड़ की घटना की एसयूसीआई(सी) कड़ी निन्दा करती है। दो महीने के अंतराल में यह छठी घटना है जहाँ इसाई अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों और संस्थानों को निशाना बनाया गया है। विशेषकर बीजेपी के केन्द्र में सत्तासीन होने के बाद ऐसी घटनाओं में यह उछाल उल्लेखनीय है। साथ ही साथ यह भी निन्दनीय है कि मुकम्मल जाँच किए बिना ही दिल्ली पुलिस चीफ ने इस घटना को चोरी की वारदात करार दे दिया। पार्टी का मानना है कि ऐसी बातों से अपराधियों को हौसला मिल जाता है क्योंकि अब तक किसी को भी ऐसी करतूत के लिए सजा नहीं दी गई है इसलिए ये घटनाएं बार-बार घट रही हैं। हम मांग करते हैं कि अपराधियों को पकड़ने के लिए तुरन्त कदम उठाएं जाएं और गुनाहगारों को उदाहरणमूलक सजा दी जाए।

शिक्षा सम्बन्धी मांगों को लेकर छात्रों द्वारा जंतर मंतर पर धरना

नई दिल्ली : 8वीं तक बेरोकटोक पास करने की नीति, 10वीं की बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बनाये जाने और शिक्षा के गिरते स्तर के खिलाफ 18 फरवरी को ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेण्ट्स आर्गेनाइज़ेशन की दिल्ली राज्य कमेटी ने जन्तर मन्तर पर प्रदर्शन किया।

सभा को मुख्य वक्ता ए.आई.डी.एस.ओ. के दिल्ली राज्य अध्यक्ष भास्करानन्द के अलावे किरोड़ीमल कॉलेज से आशुतोष यादव, जाकिर हुसैल कॉलेज से आकाश, लेडी श्रीराम कॉलेज से कल्पना यादव, मोतीलाल नेहरू कॉलेज से मो. अशरफ, विवेकानन्द कॉलेज से श्रेया सिंह तथा डी.यू. के एस.ओ.एल. से राहुल शर्मा ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन संगठन के राज्य कमेटी सदस्य रवि कुमार ने किया।

वक्ताओं ने कहा कि सरकार की शिक्षा-विरोधी नीतियों के कारण आज शिक्षा चौतरफा संकट से गुजर रही है। शिक्षा के मानव-निर्माण, चरित्र निर्माण और तार्किक-वैज्ञानिक मानसिक गठन करने के उद्देश्य को आज पूरी तरह से धूमिल किया जा रहा है। अतार्किक, अवैज्ञानिक और असंगत ढांचे को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। नो डिटेंशन पॉलिसी या बेरोकटोक पास करने की नीति इन्हीं शिक्षा-विरोधी नीतियों में से एक है।

विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों से आए हुए छात्रों ने भी 'नो डिटेंशन पॉलिसी' के विनाशकारी परिणामों पर अपने अनुभव प्रस्तुत किए। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की ओर से अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत आयोजित जाँच परीक्षा में भारत दुनिया के 73 देशों में से 72वें स्थान पर है। प्रथम शिक्षा फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूली बच्चों में अंकगणित समझने की क्षमता में गिरावट आई है। रिपोर्ट का कहना है कि कक्षा 5 के 50% बच्चे कक्षा दूसरी के पाठ्यक्रमों की किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति का आंकलन है कि कक्षा 5 के 46.5% बच्चे दो अंकों वाले सामान्य प्रश्न भी हल नहीं कर सकते हैं।

हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों और पुनर्जागरणकाल के मनीषियों का सपना वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी शिक्षा प्रणाली को स्थापित करने का था। उनके इस सपने को सच करने के लिए एआईडीएसओ नेताओं ने छात्रों और देश की शिक्षा-प्रेमी जनता से राष्ट्रव्यापी जुझारू छात्र आन्दोलन गठित करने की अपील की।

जंतर मंतर पर धरने को सम्बोधित करते हुए मो. आसिफ

छात्रों ने आवाज बुलंद की सेमेस्टर सिस्टम रद्द करो

अशोकनगर (म.प्र.) : गत दिनों ऑल इण्डिया डीएसओ की अशोकनगर यूनिट द्वारा, स्थानीय रसीला चौराहा पर सेमेस्टर प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए संगठन के जिला सचिव अजीत पंवार ने कहा कि सेमेस्टर प्रणाली ने छात्रों के दिमाग को तर्कहीन बना दिया है। ऑनलाइन प्रणाली, ए.टी.के.टी., डब्लू.एच. एकल प्रश्न प्रणाली आदि नियमों ने छात्रों को परेशान कर दिया है। इस प्रणाली से फीस कई गुना ज्यादा बढ़ गई है जिससे कई छात्र पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। साथ ही ज्ञान को संकुचित किया जा रहा है ताकि छात्र मौजूदा समस्याओं का निराकरण न कर सकें। संपूर्ण राज्य में छात्रों द्वारा इसे नकारा जा रहा है। इसके खिलाफ आंदोलन के चलते सरकार को 29 सितंबर 2014 को वोटिंग रखनी पड़ी, परन्तु इसे एक दिन पहले अलोकतांत्रिक ढंग से रद्द कर दिया गया। यह छात्रों पर व शिक्षा प्रेमी जनता के अधिकारों पर कुठाराघात है। इस प्रणाली से परेशान होकर प्रदेश की सात यूनिवर्सिटियों में से पाँच ने इसका विरोध किया है और इसे तुरंत वापिस लेने की माँग की है। यह छात्र आंदोलनों के दबाव के कारण ही सम्भव हो सका। प्रदर्शन में स्कूल-कॉलेज के बहुत सारे छात्र-छात्राएं शमिल हुए।

अहमदाबाद (गुजरात) : सेमेस्टर सिस्टम से विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, प्रोफैसर,आदि सभी बड़े परेशान हैं। इससे उनमें भारी रोष व्याप्त है। ऑल इण्डिया डीएसओ सेमेस्टर सिस्टम के खिलाफ संघर्षरत है। सेमेस्टर सिस्टम रद्द करो की मांग को लेकर संगठन की ओर से राज्य भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है। एक लाख हस्ताक्षर संग्रह करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसकी शुरूआत 5 फरवरी को अहमदाबाद में लाल दरवाजे के पास चलाये गये हस्ताक्षर अभियान से हुई जिसमें छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। अभिभावकों और शहर के आम नागरिकों ने इस सेमेस्टर सिस्टम के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। संगठन की राज्य सचिव रिमी वाघेला ने बताया कि इसके बाद इन्कम टैक्स बस स्टॉप के पास भी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।

सेमेस्टर सिस्टम के खिलाफ हस्ताक्षर करते हुए छात्र

महिलाओं का प्रदर्शन

सरायकेला (झारखण्ड) : 12 जनवरी को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर महिलाओं की सुरक्षा सम्बन्धित ज्वलंत मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। संगठन की नेता लिली दस ने मांग की कि सभी महिलाओं व लड़कियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, तन्नू मिश्रा नामक बच्ची के अपहरणकर्ताओं और हत्यारों को तुरंत गिरफ्फतार कर कड़ी सजा दी जाए, शराब के ठेके, अफीम और जुए के तमाम अड्डे बंद किये जाएं, मीडिया के जरिये नग्नता के प्रचार, अश्लील विज्ञापनों और गंदी फिल्मों के प्रसारण पर रोक लगाई जाए और नागरिक जीवन की सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर पुलिस के पुख्ता प्रबंध किये जाएं।

साईंस शो का आयोजन

सोनीपत (हरियाणा) : 5 जनवरी को ऑल इण्डिया डैमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स ऑर्गेनाइजेशन (ए.आई.डी.एस.ओ) की तरफ से आई.टी.आई. (महिला), सोनीपत में साईंस शो दिखाया गया जिसका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना था ताकि छात्रों में अंधविश्वास और रूढ़िवाद का खात्मा किया जा सके। इस कार्यक्रम में सोलर सिस्टम और हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी पर स्लाइड शो किया गया। साथ ही साईंस और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कैसे अपनाया जाए इस पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में ब्रेक थ्रू साईंस सोसाइटी के अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य चंचल घोष द्वारा छात्राओं को बता गया कि हमें विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर खुद को व समाज को अंधविश्वास से मुक्त करना है।

कार्यक्रम का संचालन ए.आई.डी.एस.ओ. के जिला सचिव प्रवीण नाहरा ने किया।

6 जनवरी 2015 को ब्रेकथ्रु साईंस सोसायटी की तरफ से हिंदू कॉलेज, सोनीपत में साईंस शो किया गया जिसमें यूनिवर्स पर स्लाइड शो दिखाया गया और वैज्ञानिकों के जीवन संघर्ष और विज्ञान पर भी चर्चा की गई ताकि छात्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना सके। अंधविश्वास को दूर करने के लिए कुछ जादू जैसे-बैग में कागज डालकर पैसे निकालना, खाली फ्रेम में मंत्र से फोटो ले आना, आग को खाना आदि दिखाया गया और फिर उनके पीछे की साईंस को समझाया गया। ब्रेकथ्रु साईंस सोसायटी के अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य चंचल घोष वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाने के लिए चर्चा कर रहे थे। अमित चौहान, विक्रांत, दीपक आदि कुछ छात्रों ने अंधविश्वास से जुड़े सवाल पूछे और चंचल घोष ने उनके सवालों का तार्किक जवाब दिया। कार्यक्रम का संचालन कॉलेज के प्राध्यापक विशाल शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्रिंसिपल श्री जागलान व अन्य प्राध्यापक भी मौजूद रहे।

मिड डे मील वर्करों ने ज्ञापन सौंपा

रेवाड़ी में 13 फरवरी को मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन (सम्बन्धित ऑल इण्डिया यूटीयूसी) के बैनर तले मिड डे मील कर्मियों ने राव तुलाराम पार्क से प्रदर्शन कर उपायुक्त रेवाड़ी के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को एक ज्ञापन भेजा। यूनियन की प्रधान सुरस्ती देवी ने कहा कि मिड डे मील वर्करों को कम से कम 15000 रु. महीना मेहनताना दिया जाए, सर्दी-गर्मी की दो ड्रैस सालाना दी जाएं। प्रदर्शनकारियों को कॉ. राजेन्द्र सिंह ने सम्बोधित किया।

नये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध, ज्ञापन सौंपे

भिवानी : भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन करते किसान

हरियाणा में 4 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर किसानों ने किये प्रदर्शन

ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन कृषि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लम्बे अर्से से पुरजोर आवाज बुलंद करता आ रहा है और संघर्षरत किसानों का हरदम साथ दिया है। सिंगुर, नंदीग्राम, भट्टा पारसौल से लेकर

सोनीपत : भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ धरना देते हुए किसान

हरियाणा में मातनहेल, बादली क्षेत्र, पंजोखरा, खरखौदा, कुण्डली, बावल, आदि हर जगह भूमि अधिग्रहण के खिलाफ उठे आन्दोलनों ने साफ दर्शा दिया है कि अन्तिम निर्णय जनता करती है, सरकार के काले कानून और उसकी क्रूर ताकत नहीं। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ हरियाणा में ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन की ओर से 4 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके उपायुक्तों की मार्फत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गये। भिवानी में प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के जिला प्रधान कॉ. जिले सिं और जिला सचिव कॉ रोहताश सैनी ने किया। जिला महेन्द्रगढ़ के मुख्यालय नारनौल में संगठन के राज्य सचिव कॉ. विजय कुमार और जिला प्रधान कॉ. बलबीर ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। झज्जर में संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कॉ. अनूप सिंह मातनहेल, कॉ. करतार सिंह अच्छेज और कॉ. जयकरण माण्डोठी के नेतृत्व में जूलूस निकाला गया। सोनीपत मे उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया गया। धरने को संगठन के जिला सचिव कॉ. जयकरण, एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के जिला कमेटी सदस्य कॉ. हरिप्रकाश, किसान नेता बलबीर सिंह राणा, हंसराज राणां, राजबीर रूखी व देवेन्द्र सिंह ने धरने को सम्बोधित किया। कैथल में संगठन के जिला अध्यक्ष कॉ. बाबूराम के नेतृत्व जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर कॉ. राजकुमार, रामसरूप, चमेल सिंह, दर्शन सिंह, कर्म सिंह, सुभाष और कृष्ण लाल भी शामिल थे। रिवाड़ी में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के जिला सचिव कॉ. राजेन्द्र सिंह, राजबीर, कर्ण सिंह, बलराम व अमर सिंह आदि किसान नेताओं ने प्रदर्शन कारियों को सम्बोधित किया।

ज्ञापन में कहा गया कि भाजपा सरकार ने संसद को दरकिनार करके आनन फानन में भूमि अधिग्रहण कानून में परिवर्तन का जो काला अध्यादेश जारी किया है इस अध्यादेश के बल पर देशी-विदेशी बड़ी-बड़ी कम्पनियों, भू माफियाओं, रीयल एस्टेट कारोबारियों व बिल्डरों के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया आसान कर दी गई है। लेकिन विकास की आड़ में लाया गया यह अध्यादेश लाखों किसानों, खेतमजदूरों व पशुपालकों को उजाड़ने वाला है। इस अध्यादेश से कृषि से जुड़े लाखों गरीबों के पुश्तैनी रोजगार खत्म हो जाएंगे। वे बेजमीन होकर भीखमंगों की कतार में खड़े होने के लिए विवश कर दिये जाएंगे। पहले भी कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने सेज, औद्योगिक गलियारों व आवास के नाम पर हजारों एकड़ खेती की जमीन बड़े-बड़े शहरों के पास अधिग्रहित कर रखी है। आंकड़े बताते हैं कि सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई काफी सारी जमीन इस्तेमाल ही नहीं हुई और आज तक खाली पड़ी है। गुड़गांव-बादली-झज्जर का एसईजैड इसका जीता जागता उदाहरण है। यह जमीन किसानों को वापस दिलवानी चाहिए थी। 2013 के कानून में सिर्फ प्रभावित किसानों को ही नहीं बल्कि जिसकी भी क्षति हुई उस हर व्यक्ति को मुआवजे, पुनर्वास और 80 प्रतिशत व 70 प्रतिशत भूस्वामियों की सहमति, अधिग्रहण के 5 साल बाद तक वह अधिग्रहित जमीन इस्तेमाल न किये जाने की सूरत में किसानों को वापस लौटाने और सामाजिक प्रभाव आंकलन के जो प्रावधान थे वे भी समाप्त करके भाजपा सरकार ने निजी कम्पनियों के हित में जबरन भूमि अधिग्रहण करने का रास्ता खोल दिया है।

ज्ञापन में भूमि अधिग्रहण का ताजा काला अध्यादेश वापस लेने की मांग के साथ ही कृषि भूमि अधिग्रहण पर मुकम्मल रोक लगाने, हर खेत को पानी और हर हाथ को रोजगार देने, सभी फसलों के लाभकारी दाम देने, डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दाम आधे करने, यूरिया खाद कोऑपरेटिव सोसायटी के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने और आवारा पशुओं का प्रबंध करने की भी मांग की गई।

किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रचार भी भ्रामक बताया कि उद्योग लगाने के लिए जमीन चाहिए। इस समस्या पर बालते हुए उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण के लिए बाजार ही नहीं है, लोगों के पास खरीदशक्ति ही नहीं है, इसलिए उत्पादित सामानों की मांग भी नहीं है। उद्योग-धंधे बंद होते जा रहे हैं। जमीन-जायदाद की खरीद-फरोख्त के जरिये भारी मुनाफा कमाने के लिए उद्योगपतियों को जमीन चाहिए। निजी कम्पनियों के लिए सरकार किसानों की उपजाऊ, बहुफसली और सिंचित जमीन को भी अधिग्रहित कर सकेगी और वह कम्पनी लम्बे अर्से तक जमीन को बिना इस्तेमाल किये खाली

कैथल : भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध करते किसान

पड़ी रख सकेगी। यह भी कहा कि जमीन अधिग्रहण के मुआवजे का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है वह मुआवजा भी केवल जमीन के मालिक को ही मिलेगा। प्रभावित होने वाले बटाईदारों, खेतमजदूरों को कुछ नहीं मिलेगा। मुआवजे के नाम पर किसान के हाथों में जमीन की कीमत के तौर पर कुछ रुपये दे देने से उसके नुकसान की भरपाई कदापि नहीं हो सकती है। क्योंकि जमीन पर उसकी ही नहीं बल्कि बटाईदारों, खेतमजदूरों व पशुपालकों की भी आजीविका निर्भर है। इससे उन सभी के न केवल पुश्तैनी रोजगार खत्म हो जाएंगे बल्कि खाद्यान्न उत्पादन, पशु धन व पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ेगा। उनका आवास तक भी छिन जाएगा। यह अध्यादेश जनहित में नहीं है। उन्होंने प्रदेश के किसान, खेतमजदूरों सहित बुद्धिजीवियों, जनतंत्रप्रेमियों से मोदी सरकार के इस काले अध्यादेश को रद्द कराने के लिए आगे आने की पुरजोर अपील की।

इस पुलिसिया बर्बरता को धिक्कार

प्रदर्शनकारियों पर ईंट फेंकते हुए रैफ पुलिस बल

एक छात्र कार्यकर्ता को पीटते हुए पुलिस

लोगों पर बेरहमी से लाठीचार्ज करते हुए पुलिस

(पृष्ठ 1 का शेष)

एक महीने से भी पहले ऐलान कर दिया गया था कि 18 सूत्री माँगों को लेकर कोलकाता की सरजमीं पर 5 फरवरी को जन कानून अमान्य कार्यक्रम में हजारों हजार लोग शामिल होंगे। तैयारी शुरू हो गई थी और भी बहुत पहले। माँगों को लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील, तहसील से लेकर जिला स्तर पर बार-बार जुलूस, सभाएं, प्रशासनिक दफ्तर के घेराव, रास्ता रोको, कानून भंग आन्दोलन करते हुए उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल के जिलों तक किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों व महिलाओं सहित मेहनतकश आम लोग 5 फरवरी को राज्यपाल के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को अपनी माँगों को पहुंचा देने के लिए तैयार हुए थे। जायज माँग, जनवादी माँग, इससे पहले भी यही माँगें पेश की गई हैं, लेकिन केन्द्र-राज्य किसी भी सरकार ने सुनवाई नहीं की। इसलिए बहरों को सुनाने के लिए एक और जोरदार आवाज बुलंद करने की जरूरत से ही कानून भंग आन्दोलन का आह्वान किया गया था।

प्रथा को मानते हुए पुलिस अधिकारियों को इसकी इतला दे दी गई थी। 4 फरवरी को पुलिस ने बताया कि कानून भंग नहीं करने देंगे। हम सहमत नहीं हो सके। 5 फरवरी को देखा गया कि कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक पुलिस ही पुलिस तैनात है। पुलिस के आला अफसर कभी कहते थे कि बहुबाजार पर रोक देंगे, कभी वैलिंग्टन, अन्ततः डोरिना क्रोसिंग। उन्होंने बताया कि डोरिना क्रोसिंग पर जुलूस पहुंचने पर पुलिस एसयूसीआई(सी) के नेताओं के हाथों में माइक देकर ऐलान करायेगी। एसयूसीआई(सी) की तरफ से पहले से ही शान्तिपूर्ण और अनुशासित ढंग से कानून भंग किया जाएगा यह बता दिया गया था। जुलूस के सामने वाले हिस्से द्वारा रिगल सिनेमा पार करते ही पुलिस का बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिला। कहाँ गई घोषणा? पुलिस ने कहा है कि वे तो जुलूस को तितर बितर करना चाहते थे। अगर ऐसी बात होती तो जुलूस पहुंचते ही आरएएफ सहित लाठीधारी पुलिस उस तरह के हिंसक ढंग से क्यों टूट पड़ी? जो तितर बितर करेंगे वे सिर, पीठ, पेट, आँख, छाती को निशाना बना कर उस तरह लाठी क्यों चलायेंगे? एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ता सिर्फ इतना ही नहीं कि निहत्थे थे, बल्कि उनके हाथों में बैनर के सिवा और कुछ नहीं था। सिर्फ हाथों से उन्होंने पुलिस की लाठियाँ रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाने पर खड़े-खड़े लाठियों का प्रहार सहते रहे, जगह छोड़ी नहीं। पुलिस को कहा कि जितना मारो मार लो। हमें भय दिखा कर, मार-पीट कर संघर्ष के रास्ते से नहीं हटा पाओगे। पुलिस ने आरोप लगाया है कि आन्दोलनकारियों ने ईंट-रोड़े फेंके। अखबारों की तस्वीरें कह रही हैं इसके ठीक उलटी बात, रैफ से लेकर सादी वर्दी में पुलिस ने बड़ी-बड़ी आधी ईंटें आन्दोलनकारियों की तरफ फेंकी। एक युवक को सड़क पर डाल कर कायरों की तरह 10-12 पुलिस वालों ने मिल कर पीटा। मेचेदा के निम्न मध्यम परिवार के छात्र कार्यकर्ता, निहत्थे उत्तम पाड़ुई ने दोनों हाथों से लाठियों से बचना चाहा था, पुलिस ने उसका मौका नहीं दिया। तीन-चार पुलिस वालों ने मिल कर इस तरह से सीने-पीठ-सिर-चेहरे पर मारा, आँख में लाठी घुसा दी कि उसकी दाई आँख बिल्कुल फूट गई। उसी तारीख को रात को मेडिकल कॉलेज में आपरेशन करने पर भी डाक्टर उसकी आँख नहीं बचा पाये। दूसरा एक आदमी रमाकांत सरकार भी अपनी आँख नहीं खोल पा रहा है। आँख के अन्दर खून जम गया है। ऐसी हालत में ही पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड सौमेन बसु, छाया मुखर्जी, तपन राय चौधरी आदि नेतागण हस्पताल में उनसे मिलने गये। रमाकांत ने कहा कि आज आन्दोलन में शामिल होने पर मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। तूफानगंज का मेधावी छात्र रमाकांत छात्रों की समस्याओं से लेकर, आम लोगों की समस्याओं तक को लेकर एसयूसीआई(सी) के झण्डे को कंधों पर उठा कर हमेशा आन्दोलन में कूद पड़ता है। छात्र कार्यकर्ता अरिजीत गर्दन पर चोट खा कर राजपथ पर लुढ़क पड़ा था। उसका भी इलाज चल रहा था। छात्र कार्यकर्ता दीपांशु भौमिक का लाठीचार्ज में हाथ टूट गया था। इस सूची का मानो कोई अंत नहीं है। कितने जनों के सिर फूटे, कितने जनों के नाक टूटे, हाथ-पाँव टूटे इसकी सूची देकर खत्म नहीं किया जा सकेगा। कुल 107 लोग घायल हुए हैं। 35 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

पुलिस की लाठियों के सामने सीना ताने निहत्थे युवा कार्यकर्ता

इसके बाद भी पुलिस निर्विकार है। तृणमूल सरकार की तरफ से भी किसी भी मंत्री का मामूली बयान भी नहीं आया। क्या तब जनता की माँगों को लेकर जनतांत्रिक आन्दोलन नहीं किया जा सकेगा? हाल ही में हावड़ा में बलात्कारियों का विरोध करने वाले नौजवान अरूप भण्डारी की बलात्कारियों ने हत्या कर दी थी। पुलिस बत्कारियों को खोज ही नहीं पाई। जबकि 5 फरवरी को निहत्थे कानून अवज्ञाकारियों के लिए पुलिस की तैनाती अकल्पनीय थी।

कानून अवज्ञा करने वालों की क्या माँग थी? हरेक माँग आम आदमी की थी, जनतांत्रिक माँग थी, जायज माँग थी। किसानों की जमीन छीनने वाला काला अध्यादेश वापस लेने, 108 दवाओं सहित रोजाना की जरूरत की चीजों के दाम घटाने, चिटफण्ड घोटालेबाजों को कड़ी सजा देने, किसानों को फसल के जायज रेट देने, तालाबंदी-छंटनी पर रोक लगाने, 8वीं कक्षा तक ओटोमैटिक प्रमोशन प्रणाली वापस लेने, शिक्षा का साम्प्रदायीकरण व व्यापारीकरण करना बंद करने, बिजली के रेट घटाने, राजनैतिक भेदभाव और महिलाओं पर होने अत्याचार की रोकथाम करने आदि 18 सूत्री माँगें थीं।

कॉलेज स्क्वायर के सामने विशाल सभा में राज्य सचिव कॉमरेड सौमेन बसु ने कहा कि पिछली सीपीआई(एम) मोर्चे की सरकार के खिलाफ जनहित की रक्षा के जो सब वादे करके तृणमूल सरकार सत्ता में आई थी, तीन साल में वे उनको पैरों तले रोंद रही है। दूसरी तरफ, केन्द्र में कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जनता के रोष का फायदा उठा कर और भारत के एकाधिकारी पूँजीपतियों की पृष्ठपोषकता के रथ पर सवार होकर बीजेपी ने केन्द्र सरकार में आते ही अच्छे दिन आने के नाम पर जनता के खिलाफ दरअसल जंग का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ जुड़ गयी है उसकी घिनौनी साम्प्रदायिक राजनीति। हिन्दू धर्म की भावनाएं भड़काकर वह लोगों को धर्मीय हिंसा में फंसा कर वोट के बाजार में बाजी मार लेना चाहती है। धर्मनिरपेक्ष , वैज्ञानिक और जनवादी शिक्षा की ध्यान-धारणा की जड़ों पर कुठाराघात करके छात्र-छात्रओं को पुरानी, गयी-बीती, रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक चिंतन-भावना की ओर धकेल देना चाहती है। यह एक खतरनाक साजिश है। पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि मीडिया की मदद से बीजेपी के पक्ष में अद्‌भुत प्रचार जारी है। सीपीआई(एम) के सत्ता गवां देने के बाद उनकी पार्टी में शरण लिये हुए चोर-डकैत सब तृणमूल में शामिल हो गये थे, अब फिर तृणमूल से बीजेपी में शामिल हो जाने की धूम मची हुई है। मानो किसी अन्य पार्टी को छोड़ कर बीजेपी में चले जाने से ही वे साधू हो जाएंगे। इस सब के खिलाफ हम मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष की क्रान्तिकारी विचारधारा पर जनआन्दोलन गठित कर रहे हैं। पिछले दो महीनों से जिला-जिला में विभिन्न चरणों में प्रतिवाद-प्रतिरोध आन्दोलन की धारावाहिकता में आज यहाँ लगभग 30 हजार लोग कानून अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने आये हैं। खेतीबाड़ी का समय अगर नहीं होता, तो इनकी तादाद निस्संदेह और भी बढ़ सकती थी। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के खिलाफ हमारा आन्दोलन जारी रहेगा। उन्होंने साम्प्रदायिकता

(शेष पृष्ठ 6 पर)

ऑल इण्डिया यूनाइटिड ट्रेड यूनियन सेण्टर (एआईयूटीयूसी) ने की श्रम कानूनों में सुधारों की भर्त्सना

केन्द्र में सत्तासीन होने के बाद बीजेपी-नीत केन्द्रीय सरकार ने पूँजीपतियों की भरोसेमंद प्रतिनिधि होने के नाते उन से किए गए वायदे के अनुरूप तथा बीजेपी को सत्ता हथियाने के लिए जिन कॉरपोरेट घरानों ने अपनी थैलियों के मुंह खोल दिए थे उसके बदले में उपहार स्वरूप बीजेपी ने मजदूर समुदाय पर भयंकर हमला बोल दिया है। छंटनी, ले-ऑफ, फैक्ट्रियों को बन्द करने और व्यापक पैमाने पर ठेकाकरण को जारी रखने के पूँजीपतियों के घृणित षडयन्त्र के अनुरूप केन्द्रीय सरकार के साथ साथ राजस्थान की सरकार ने पूरी गति और आवेग के साथ श्रम सुधारों की आड़ में श्रम कानूनों में संशोधनों का खाका पेश किया है, अपने वर्ग शासन के सहगामी कॉरपोरेट घरानों को मदद पहुँचाते हुए उन तमाम अधिकारों और सुविधाओं को भी छीना जा रहा है जिनका मजदूर अब तक लाभ उठाते आए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए अन्य बीजेपी शासित राज्य, जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसी तरह श्रम कानूनों के प्रतिगामी संशोधन लागू करने की प्रक्रिया में हैं। इसे नकारा नहीं जा सकता है कि हमारे देश में श्रम कानूनों को प्रभावकारी ढंग से लागू करने की बजाय उद्योगपतियों द्वारा उनका व्यापक स्तर पर उल्लंघन करना नियमित परिघटना बन गई है।

गत अगस्त में (1) औद्योगिक विवाद कानून (2) फैक्ट्रीज़ एक्ट (3) कॉण्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन और एबोलिशन) एक्ट से सम्बन्धित बर्बर श्रम-विरोधी संशोधनों को राजस्थान विधानसभा ने अपनी स्वीकृति दे दी है। संशोधनों के कुछ पहलू इस प्रकार हैं:

1. औद्योगिक विवाद कानून : 300 कामगारों तक नियुक्त करने वाले संस्थानों के संबंध में छंटनी, ले-ऑफ, कारखानाबन्दी इत्यादि के लिए अब तक सरकारी अनुमति की जरूरत होती थी। अब इसे हटा दिया गया है। 300 से कम कामगारों को नियुक्त करने वाले संस्थानों और फैक्ट्रियों की संख्या राजस्थान में कुल 7622 फैक्ट्रियों में से 7522 है। अत: इस संशोधन के चलते राज्य के कामगारों का बहुत बड़ा हिस्सा वस्तुत: औद्योगिक विवाद कानून के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। बल्कि उन कामगारों को 'हायर एण्ड फायर' नीति के दायरे में धकेल दिया जाएगा–उनका भविष्य पूरी तरह असुरक्षित और अनिश्चित हो जाएगा। प्रतिनिधित्वकारी यूनियन की पात्रता के लिए संस्थान के 30% कामगारों की सहमति यूनियन के हक में होना एक अनिवार्य कसौटी बना दी जाएगी।

2. फैक्ट्री एक्ट: ऑपरेशनल मोड के आधार पर फैक्ट्रियों को निम्न ग्रुपों में बांटा जाएगा (क) पॉवर के साथ ऑपरेट करने वाली यूनिटों में पात्रता के लिए श्रम शक्ति को 10 से बढ़ा कर 20 कर दिया गया है। (ख) बिना पॉवर की यूनिटों में श्रमशक्ति को 20 से बढ़ा कर 40 कर दिया गया है। तकनीकी विकास के साथ साथ व्यापक पैमाने के आऊटसोर्सिंग और ठेकाकरण के चलते औद्योगिक इकाइयों की विशाल संख्या बहुत कम श्रम शक्ति से संचालित होती है बावजूद इसके कि उनका पूँजीनिवेश अच्छा खासा है। सरलीकरण के नाम पर उन यूनिटों को रिटर्न भरने और रजिस्टरों के रखरखाव से छूट प्रदान की जा रही है जो अब तक 16 प्रमुख श्रम कानूनों के मामले में बाध्यकारी था। विशेष प्रावधान का समावेश किया गया है जिसमें राज्य सरकार की मंजूरी के बिना श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए नियोक्ताओं के खिलाफ कोई मुकदमा दायर करने से मजदूरों को वंचित कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में सरकारी मंजूरी लंबित रहने से नियोक्ताओं के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकेगा। 40 और इससे अधिक कामगारों को नियुक्त करने वाले संस्थान ही 'फैक्ट्री' माने जाएंगे और इससे कम श्रम शक्ति वाले संस्थानों के मजदूरों को फैक्ट्रीज़ एक्ट में प्रदत्त तमाम अधिकारों और सुविधाओं से महरूम कर दिया जाएगा।

3. कॉण्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट : 49 कामगारों तक नियुक्त करने वाले ठेकेदारों को इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया है। ठेका मजदूर का बड़ा तबका इस एक्ट के तहत उपलब्ध सुरक्षा प्रावधानों से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कामगारों की संख्या सीमित करने का संशोधन वस्तुत: नियोक्ताओं को पूरी तरह ठेका मजदूर नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, स्थाई प्रकृति के रोजगारों में मजदूरों की नियुक्ति घटाने के साथ-साथ वित्तीय जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी। साथ ही साथ ठेका मजदूर की सेवाएं लेने से श्रम पर होने वाला खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा।

राजस्थान विधानसभा द्वारा जो एक तरह से बीजेपी के घोषित नजरिए की प्रयोगशाला थी और कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार की ही तरह कॉरपोरेट घरानों की निष्ठापूर्वक सेवा और उनके हितों को आगे बढ़ाने के बीजेपी के राजनीतिक उद्देश्य के अनुरूप श्रम कानूनों को आसानी से पास कर दिए जाने से प्रोत्साहित बीजेपी नीत केन्द्रीय सरकार को अपनी पूरी ताकत के साथ श्रम सुधारों का हौवा नए सिरे से खड़ा करने के लिए प्रेरित कर दिया। बीजेपी सरकार का दावा है कि ऐसे सुधार व्यापक पैमाने पर रोजगार अवसर पैदा करेंगे और औद्योगीकरण में सहायक होंगे। लेकिन असल में यह श्रम कानूनों का सरेआम उल्लंघन करने वाले उद्योगपतियों को अपनी लूट-खसोट बेरोकटोक जारी रखने देने का एक घृणित षडयन्त्र है। इसी दौरान अप्रेण्टिश एक्ट और फैक्ट्रीज़ एक्ट में संशोधनों के प्रस्तावित बिल संसद में पेश कर दिए गए हैं।

4. फैक्ट्रीज़ (अमेण्डमेंट) बिल 2014 : अनुच्छेद 26 को संशोधित कर के काम के घण्टों को 10.5 घण्टे तक विस्तारित कर दिया गया। (लंच/टिफिन ब्रेक सहित) जिसे अब पहले की आठ घण्टे की निर्धारित सीमा से बढ़ा कर 12 घण्टे किया जा रहा है जिस के लिए परिस्थिति के आधार पर और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए स्टेट चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ की अनुमति की जरूरत होगी। पहले अनुच्छेद 64 जो प्रति तिमाही ओवरटाइम को 50 घण्टों तक सीमित करता था जब इसे सीधे 100 घण्टे तक बढ़ा दिया गया है। किसी मजबूरीवश और 'जन स्वार्थ' में यह सीमा 125 घण्टे तक बढ़ाई जा सकती है। कथित संशोधन निश्चित ही एक तरफ कामगारों की अनुचित कठिनाइयाँ बढ़ाएगा जबकि दूसरी तरफ रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक असर डालेगा। अनुच्छेद 55 के तहत महिला कामगारों की रात्री पाली में ड्यूटी पर प्रतिबंध को संशोधन के जरिए पूरी तरह लचीला बना दिया गया है।

40 से कम कामगारों को नियुक्त करने वाली फैक्ट्रियों को छोटी फैक्ट्रियाँ माना जाएगा और इन संस्थानों के सम्बन्ध में एक प्रस्तावित विधेयक जिसका नाम 'द स्माल फैक्ट्रीज़ (रेगुलेशन ऑफ एम्पलायमेण्ट एण्ड कण्डीशन्स ऑफ सर्विसिज) बिल 2014 है, संसद में लम्बित है। इस कथित संशोधन के जरिए फैक्ट्री की परिभाषा बदल दी जाएगी और नियोक्ताओं को मजदूरों को लूटने और शोषण करने का बेलगाम अधिकार सौंप दिया जाएगा जिसके चलते अब तक प्रमुख श्रम कानूनों जैसे फैक्ट्रीज़ एक्ट, इण्डस्ट्रीयल एम्पलायमेण्ट (स्टेडिंग आर्डर) एक्ट, मिनिमम वेजिज एक्ट, पेमेण्ट ऑफ वेजिज एक्ट, पेमेण्ट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिनुमिरेशन एक्ट, शॉप्स एण्ड इस्टेब्लिशमेण्ट एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट इत्यादि कानूनों के तहत जो हितलाभ और सुविधाएं मजदूरों को उपलब्ध थी उन्हें छीन लिया जाएगा। इस कानून के बन जाने पर जो भी सुरक्षा मजदूर वर्ग को अब तक मिलती थी वह अब उपलब्ध नहीं रहेगी।

5. अपरेण्टिस (अमेण्डमेण्ट) बिल 2014 : संशोधन के लिए प्रस्तावित बिल एक अशुभसूचक कदम है और उन नियोक्ताओं के संबंध में सजा के प्रावधानों को उदार बनाने की परिकल्पना है जिन पर कानून में समाहित सम्बंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है जिसमें दण्ड का प्रावधान है जिसे कारावास की सजा तक बढ़ाया जा सकता है। संशोधन के जरिए दण्ड को मात्र 500 रुपये के जुर्माने में बदल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्ताव का मुख्य जोर दण्डात्मक अपराध से नियोक्ताओं को छूट देना है। कानून के तहत निगरानी और नियंत्रण का अधिकार सैण्ट्रल अपरेण्टिशशिप काऊंसिल के हाथों में था लेकिन अब इसे स्टेट अपरेण्टिशशिप काऊंसिल के हाथों में सौंपने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, एक तरफ एक विशेष यूनिट में प्रशिक्षुओं (अपरेण्टिशों) की संख्या को कुल मजदूरों की संख्या के 30% तक सीमित किया जाएगा, दूसरी तरफ मानदेय (ऑनरेरियम) को न्यूनतम वेतन के 70% तक सीमित कर दिया जाएगा और उन्हें सभी प्रकार के कामों में लगाया जाएगा यहाँ तक कि जो स्थाई प्रकृति के कार्य हैं और नियमित, ठेका, अस्थाई और दिहाड़ी मजदूरों द्वारा किये जाते हैं। इस तरह नियोक्ताओं को काफी सहूलियत हो जाएगी प्रशिक्षुओं (अपरेण्टिशों) को स्थाई प्रकृति के कामों में लगाने की, वह भी सापेक्षत: बहुत कम दामों पर। परिणामत: सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों की सकल उत्पादन लागत के मुकाबले वेतन पर किए जाने वाला खर्च सापेक्षत: कम होगा जिसके चलते संबंधित उद्यमियों को फायदा होगा।

इस प्रकार श्रम कानूनों के संशोधन की तरफ उठाया गया यह कदम मूलत: केन्द्रीय सरकार द्वारा सुपरिकल्पित समग्र और समन्वित प्रयास है मुख्यत: जिसके दायरे में विभिन्न कानूनों जैसे औद्योगिक विवाद कानून, फैक्ट्रीज़ एक्ट, कॉण्ट्रेक्ट लेबर (आर एण्ड ए) एक्ट, अपरेण्टिशशिप एक्ट इत्यादि, संबंधित उद्योगों– इसके प्रबंधन, मजदूरों और संबंधित मुद्दों को लाया जाएगा। इन संशोधनों को लाने के पीछे मोदी सरकार का एकमात्र उद्देश्य है एक तरफ मजदूर समुदाय की छंटनी और लूट की खातिर मालिक वर्ग को बेलगाम अधिकार प्रदान करना और दूसरी तरफ साथ ही साथ मेहनतकश मजदूरों को अनेक वर्षों के

(शेष पृष्ठ 7 पर)

इस पुलिसिया बर्बरता को धिक्कार

धिक्कार देते हुए कोलकाता में सड़क पर जमा हो गये लोगों को सम्बोधित करते हुए कॉ सौमेन बसु

(पृष्ठ 4 का शेष)

के खतरे के बारे में लोगों को सचेत किया। बीजेपी की घिनौनी साम्प्रदायिक राजनीति को कोई भी सही मायने में धर्म विश्वासी आदमी समर्थन नहीं दे पायेगा।

कानून अमान्य पर पुलिसिया बर्बरता के प्रतिवाद में 6 फरवरी को सारे बंगाल भर में नुक्कड़ मीटिंगें, जुलूस, रोष प्रदर्शन आदि के जरिये धिक्कार दिवस मनाया गया। कॉमरेड सौमेन बसु ने एक बयान जारी कर कहा कि हम इन 18 सूत्री माँगों को लेकर आगामी दो महीनों तक एक करोड़ हस्ताक्षर संग्रह करेंगे। इन दो महीने के दौरान जिला जिला में, ब्लॉक ब्लॉक में रास्ता रोको, कानून भंग, घेराव आदि कार्यक्रमों के जरिये दीर्घस्थायी आन्दोलन के रास्ते कोलकाता में राजभवन रास्ता रोको सहित दूसरे दूसरे कार्यक्रमों के रास्ते पर चलते जाएंगे।

पुलिस की लाठी से आंख पर लगी गहरी चोट हस्पताल में दाखिल रमाकांत सरकार

कानून भंग आन्दोलन में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों का कोलकाता के विभिन्न हस्पतालों में इलाज चल रहा है। कॉमरेड उत्तम पाडूई की आँख का दूसरा आपरेशन किया जाएगा और कॉमरेड रमाकांत सरकार की आँख का भी इलाज किया जाएगा, जो दोनों ही हैदराबाद में होंगे। हम इन कॉमरेडों के इलाज के लिए सभी से अपील करते हैं कि चिकित्सा कोष में दिल खोल कर दान दें।

फोन नं. – 913322653234; 919874404888

नेताजी की मूर्ति स्थापना समारोह सम्पन्न

पंखांजोर (छ.ग.) : 15 फरवरी को यहां आजादी आन्दोलन की गैरसमझौतावादी धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चन्द्र की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर भव्य समारोह हुआ। गौरतलब है कि यहां के बासिन्दे पूर्वी पाकिस्तान से आकर बसे थे जिनको देश के विभाजन की वजह से सबसे ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी थी।

हर तबके के लोगों को लेकर बनी नेताजी मूर्ति स्थापना कमेटी ने इस काम का बीड़ा उठाया था। स्थानीय क्लब जाग्रती मंच के अध्यक्ष देवाशीष मण्डल, सचिव सुब्रतो सेन और कोषाध्यक्ष निवास अधिकारी ने अन्य कुछ स्वयंसेवकों की मदद से यह दुरुह काम कर दिखाया और यहां के लोगों का दिल जीत लिया।

ऑल इण्डिया नेताजी शताब्दी समारोह कमेटी, कोलकाता के सचिव कॉ. सौरभ मुखर्जी इस समारोह के मुख्य वक्ता थे। अन्तगढ़ के बीजेपी विधायक भोजराज नाग, पंखांजोर नगरपालिका के चेयरमेन असीम राय और नेताजी मूर्ति स्थापना कमेटी के उपाध्यक्ष सुधीर मण्डल भी इस मौके पर उपस्थित थे।

अपने सम्बोधन में कॉ. सौरभ मुखर्जी ने बताया कि न केवल अंग्रेजों के राज से आजादी बल्कि गरीबी और बदहाली से देश के लोगों की मुक्ति हासिल करने के एकमात्र मकसद से नेताजी ने खुद को धर्म, जाति, पंथ, व्यक्तिगत कॅरियर, पद व सत्ता की भूख से ऊपर उठा लिया था। नेताजी राजनीति के साथ धर्म को मिलाने से नफरत करते थे और इसे सख्ती से निजी मामला मानते थे। उनकी कही हुई बातों पर कॉ. मुखर्जी ने जोर दिया। उन्होंने इन्सानियत हासिल करने और गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं व बच्चियों से हो रहे बलात्कार, उनकी असुरक्षा व अपमान की दयनीय स्थिति से देश को निकालने के लिए नेताजी के आदर्शों को आत्मसात करने के लिए संघर्ष करने के लिए पंखांजोर के लोगों का आह्वान किया। स्थानीय कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किये गये। नेताजी की मूर्ति से पर्दा हटाने के साथ समारोह का समापन हुआ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति स्थापना समारोह को सम्बोधित करते हुए कॉ. सौरभ मुखर्जी

दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों पर

एस.यू.सी.आई.(सी) का बयान

एस.यू.सी.आई.(सी) दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी सचिव कॉमरेड प्रताप सामल ने आम आदमी पार्टी की शानदार चुनावी जीत के बाद निम्नलिखित प्रेस बयान जारी किया:

2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी-नीत बीजेपी द्वारा किए गए वायदों पर लोगों ने यकीन किया था और कांग्रेस को करारी शिकस्त दी थी। फिर भी, आठ महीनों की अल्प अवधि में ही लोगों को अहसास हो गया कि उनको झांसा दिया गया है क्योंकि बीजेपी सरकार खुल्लमखुल्ला एकाधिकारी पूँजी व कॉरपोरेटपरस्त तथा जन-विरोधी नीतियाँ अपना रही है जिसके चलते उनकी दु:ख-तकलीफों में कोई कमी नहीं हुई है। उन्होंने हाल ही में सम्पन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपने गुस्से और आक्रोश का इजहार किया और बीजेपी को करारी शिकस्त देते हुए इसे विधानसभा में शर्मनाक हद तक गौण बना दिया। जन-विरोधी तथा पूँजीपतिपरस्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नकार देने के लिए हम दिल्ली की जनता को बधाई देते हैं।

लोगों ने वोट देकर आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत के साथ सरकारी सत्ता में इस उम्मीद के साथ बैठाया है कि यह बीजेपी और कांग्रेस की राह पर नहीं चलेगी। पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने, बिजली-पानी के निजीकरण पर रोक लगाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापारीकरण/निजीकरण बन्द करने, महंगाई-बेरोजगारी कम करने, महिलाओं और बच्चों पर अपराध रोकने तथाकथित अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमित करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुख्ता करने आदि जैसे मुद्दों पर किए गए अपने तमाम वायदों को ईमानदारी के साथ पूरा करेगी।

लोगों को यह भी विश्वास है कि बीजेपी-कांग्रेस की तरह नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी निरन्तर लोगों के हित में पूँजीवाद-विरोधी, जनमुखी नीतियों का अनुसरण करेगी।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध

यू.पी.

अमरोहा : नया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश तुरंत वापस लेने व प्रदेश के किसानों को 24 घण्टे बिजली मुफ्त देने की मांग को लेकर ऑल इण्डिया डीवाईओ की ओर से 9 फरवरी को दो ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री को प्रेषित किये गये। संगठन के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए और जुलूस निकाला। जिला मुख्यालय पर धरना दिया और नारे लगाकर इस काले अध्यादेश का विरोध किया। कार्यक्रम को संगठन के प्रदेशाध्यक्ष हरकिशोर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह, गंभीर सिंह, कमल सिंह आदि ने सम्बोधित किया। संचालन जिला संयोजक नासिर अली ने किया। इस अवसर पर नौबहार सिंह, सिद्धराज सिंह, दिगराज सिंह, मेवाराम सिंह, बलबीर सिंह, अहमद अली, वाहिद खान, जमशेद अली, कुशल कुमार, अरविन्द यदुवंशी, आयुष श्रीवास्तव, सचिन शर्मा, विकास शर्मा, शकील अहमद आदि उपस्थित रहे।

श्रम कानूनों में...|||

पृष्ठ 5 का शेष

दीर्घकालिक और कष्टसाध्य संघर्षों द्वारा अर्जित उनके कानूनी और ट्रेड यूनियन अधिकारों से वंचित कर देना।

हाल ही में हुई एक मीटिंग में केन्द्रीय सरकार ने 43वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए न्यूनतम वेतन कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव पेश किया था। प्रसंगवश, 43वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशें 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों का ही प्रतिरूप थी जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारित करते समय 25% और इजाफा करके समृद्ध किया गया था। दुर्भाग्यवश, न्यूनतम वेतन के कानूनी स्वरूप का सम्मान न करते हुए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की पहल की है जो बीपीएल गाइडलाइन के तहत काल्पनिक तौर पर तय वेतन से थोड़ा ज्यादा होगा। आश्चर्यजनक रूप से प्रस्तावित न्यूनतम वेतन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन ढांचे से भी कम बैठता है। प्रस्तावित संशोधन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का अनादर करता है दूसरी तरफ करोड़ों मजदूरों को उनके न्यायसंगत वेतन से वंचित करता है। संशोधन कुशल और अकुशल मजदूरों के बीच कोई तफर्का भी नहीं करता है। जिसके चलते बिना किसी फर्क के मजदूरों को अकुशल मजदूरों का वेतन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा बिल यदि लागू होता है तो यह करोड़ों मजदूरों को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर देगा और नियोक्ताओं की मन मर्जी पर उन्हें अपना जीवन यापन करने को मजबूर कर देगा।

इसी तरह, बोनस एक्ट में भी मजदूर-विरोधी संशोधनों का प्रस्ताव है जिसमें अवरोधक शर्तें लगाई गई हैं जो मजदूरों के एक बहुत बड़े हिस्से को देय बोनस पाने से वंचित कर देगी। बोनस एक्ट के मौजूदा प्रावधानों के तहत बोनस की रेंज अर्जित वार्षिक वेतन का 8.33% से 20% तक है। एक संस्थान की क्षमता और मुनाफे के आधार पर मजदूर निर्धारित सीमा के तहत अधिक बोनस पाने के लिए आन्दोलन कर सकते थे। ट्रेड यूनियन आन्दोलन की 'सभी को बोनस' की मांग लम्बे अर्से से रही है। प्रस्तावित स्माल फैक्ट्रीज़ बिल 2014 द्वारा संस्थान को मुनाफा होने के बावजूद सम्बंधित मजदूरों का बोनस का अधिकार 8.33 तक सीमित कर दिया जाएगा और उन्हें किसी तरह का उच्च बोनस पाने से वंचित कर दिया जाएगा।

मूलत: मौजूदा केन्द्रीय सरकार के हाथों में सुधारों का मकसद उद्योगपतियों को छंटनी, ले-ऑफ, कारखानाबंदी की बदनीयत से भरी अपनी साजिश जारी रखने का खुला मौका देना है जिससे वे मजदूरों को उनके अधिकारों और सुविधाओं से वंचित करने के अलावा 'हायर एण्ड फायर' की नीति को लागू कर सकें और गहन पूँजीवादी संकट का बोझ उनके कंधों पर लाद सकें।

इस वर्तमान नाजुक दौर में, कॉरपोरेट घरानों की विश्वसनीय एजेण्ट सरकार के घृणित षडयंत्र को परास्त करने के लिए सभी मजदूरों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह बनती है कि वे एकजुट हो जाएं और देश भर में एकजुट होकर संघर्ष में कूद पड़ें और देशव्यापी सशक्त संयुक्त आन्दोलन को रूपाकार दें।

कॉमरेड राम नरेश राय लाल सलाम

मुजफ्फरपुर (बिहार) : एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) मुजफ्फरपुर जिला कमिटी सदस्य सह ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन की बिहार राज्य कार्यकारिणी के सदस्य कॉ. राम नरेश राय का देहांत 30 जनवरी की रात हो गया।

कॉ. राम नरेश राय 1978 में कॉ. शिवदास घोष के विचारों से प्रभावित होकर एसयूसीआई(सी) में शामिल हुए और जीवन पर्यंत पार्टी के नेतृत्व में काम करते रहे। वे पार्टी की साहेबगंज लोकल कमिटी के सचिव भी रहे। बाद के दिनों में वे पार्टी के निर्देश पर मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय में रहने लगे और वहां से उन्होंने मुरौल, मीनापुर, कांटी आदि प्रखंडों में भी किसान-मजदूरों को संगठित किया। अपने देहांत के समय भी वे अपने पैतृक गांव के क्षेत्र रामलीला गाछी के बाजार में आयोजित नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जयंती कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए थे। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गयी। उनकी मृत्यु की खबर सुन जिले भर में शोक की लहर दौड़ गयी, झंडा झुका दिया गया।

जिले भर से पार्टी कार्यकर्ता-नेताओं ने उनके पैतृक गांव पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजली दी। एसयूसीआई (सी) के राज्य सचिव कॉ. शिव शंकर की ओर से राज्य कमिटी सदस्य कॉ. लालबाबू महतो ने माल्यार्पण किया। इसके अलावा राज्य कमिटी सदस्य कॉ. अशोक कुमार सिंह, कॉ. योगेन्द्र राम, जिला सचिव कॉ. अर्जुन कुमार, ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन के जिला सचिव कॉ. काशीनाथ सहनी सहित साहेबगंज, कांटी, मड़वन, पारू, सरैया प्रखंड के सैकड़ों कॉमरेडों ने उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजली दी तथा उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए।

कॉ. राम नरेश राय के निधन पर 4 फरवरी को मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में वाम विचार से जुड़े अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता सुदिष्ठ नारायण चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित एक श्रद्धांजली सभा में वरिष्ठ अधिवक्ता बालेश्वर रसूलपुरी, विनोद कुमार, मनोज मिश्र, काशी लाल शर्मा, प्रेम कुमार पासवान, मो. इस्लाम आदि अधिवक्ताओं ने दिवंगत कॉ. राम नरेश राय को श्रद्धांजली दी। साहेबगंज लोकल कमिटी की ओर से 5 फरवरी को आयोजित श्रद्धांजली सभा में एसयूसीआई (सी) के राज्य सचिव कॉ. शिवशंकर, राज्य कमिटी सदस्य कॉ. इन्द्रदेव राय, सेवानिवृत्त शिक्षक भाग्य नारायण शाही, संस्कृतिकर्मी राम नारायण राय, महेश प्रसाद सिंह, बाबूनन्द शर्मा, साहेबगंज प्रखंड के नेता सीपीआई के राम, सीपीआई(एम) के दिल मोहम्मद, एमसीपीआई(यू) के राधिका रमण के अतिरिक्त सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजली दी। पार्टी की जिला कमिटी की ओर से राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. रामसूरत ठाकुर की अध्यक्षता में 7 फरवरी को जिला कार्यालय सभागार में श्रद्धांजली सभा गयी। मुख्य वक्ता एसयूसीआई (सी) बिहार राज्य सचिव कॉ. शिव शंकर ने कॉ. राम नरेश राय के निधन को पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया। श्रद्धांजली सभा में राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. अरूण कुमार सिंह, कॉ. लखीचन्द्र राय, कॉ. अशोक कुमार सिंह, कॉ. योगेन्द्र राम, कॉ. लालबाबू महतो, कॉ. इन्द्रदेव राय के अलावा सीपीआई के जिला सचिव अजय कुमार सिंह, कॉ. युनुस; सीपीआई (एम) के जिला नेता रामपुकार सहनी, सीपीआई (एम-एल) लिबरेशन के सकल ठाकुर, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ(सेवांजली) के शम्भू शरण ठाकुर, शत्रुघ्न पांडे, अर्जुन कुमार, फुटपाथी दुकानदार संघ के अरसद अली सहित एआईयूटीयूसी के जिला सचिव कॉ. मो. इदरीश, एआईकेकेएमएस, एआईडीवाईओ, एआईडीएसओ, एआईएमएसएस एवं पार्टी के सैकड़ों सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजली दी। सभा की शुरूआत कॉ. शिवदास घोष पर रचित गीत से तथा समापन अंतर्राष्ट्रीय गान से हुआ।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Printing : 20 February, 2015

एआईएमएसएस के बैनर तले आयोजित हुआ उड़ीसा का चौथा महिला सम्मेलन

भुवनेश्वर : महीलाओं पर बढ़ते अत्याचारों और अश्लीलता व शराब के प्रचार-प्रसार के खिलाफ ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन द्वारा उड़ीसा राज्य का चौथा महिला सम्मेलन यहां आयोजित किया गया। 31 जनवरी को महात्मा गांधी रोड़ पर खुला अधिवेशन हुआ। इस सम्मेलन की शानदार सफल बनाने के लिए अनेक बाधाओं को पार करते हुए महिला प्रतिनिधि दृढ़ निश्चय लिये हुए दूर-दूर से आयी। क्योंकि उनका मानना था कि यही एकमात्र क्रान्तिकारी महिला संगठन है जो लम्बे अर्से से उनकी जायज मांगों के लिए लड़ता आया है।

सम्मेलन को सम्बोधित करती हुई डा. एच.जी. जयालक्ष्मी

राज्य के 24 जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 5000 महिलाओं के जुलूस का स्वागत राज्य की कई प्रमुख हस्तियों को लेकर बनी स्वागत समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। सभास्थल के पास ही लगी उद्धरण व फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन वरिष्ठ कलाकार श्री असीम बसु द्वारा किया गया। सभा का उद्घाटन स्वागत समिति के चेयरमेन उत्कल यूनिवर्सिटी के पूर्व उपकुलपति प्रोफेसर गोकुलानंद दास द्वारा किया गया। अपने संक्षिप्त स्वागत भाषण में उन्होंने कहा, ''महिलाओं का यह सम्मेलन राज्य में जोरदार महिला आन्दोलन की बुनियाद रखेगा।'' एआईएमएसएस की उड़ीसा राज्य सचिव कॉमरेड स्वयंप्रभा नायक ने संक्षिप्त प्रस्तावना भाषण दिया।

मुख्य वक्ता एआईएमएसएस की अध्यक्षा कॉमरेड छाया मुखर्जी ने अपने सम्बोधन में देश के मौजूदा सामाजिक-राजनैतिक हालात पर विस्तार से बात रखी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की मौजूदा समस्याओं का मूल कारण इस संकटग्रस्त पूंजीवादी व्यवस्था से ओतप्रोत रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने प्रतिनिधियों से इसलिए आग्रह किया कि वे पूंजीवाद-विरोधी दिशा में जोरदार आन्दोलन गठित करने के लिए सचेत प्रयास करें। सम्मानित मेहमानों, समाज-विज्ञानी प्रोफेसर रीटा राय, एसयूसीआई(सी) की उड़ीसा राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड धुर्जटी दास, एआईएमएसएस की महासचिव डा. एच. जी. जयालक्ष्मी ने प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे आत्मविश्वास पैदा करें ताकि समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अपना वांछित लक्ष्य हासिल कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि एकमात्र महिला संगठन एआईएमएसएस को मजबूत बनाया जाए जो इस युग के महान मार्क्सवादी चिंतनकार कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं से लैस है।

सभा की अध्यक्षता करते हुए एआईएमएसएस की उड़ीसा राज्य कमेटी की अध्यक्षा कॉमरेड वीणापाणि दास ने अपने समापन भाषण में प्रतिनिधियों से इस ऐतिहासिक सम्मेलन का संदेश राज्य में चारों तरफ फैला देने का आग्रह किया।

1 फरवरी को भुवनेश्वर के कोरापुट भवन में प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ जिसमें 515 प्रतिभागियों ने शिरकत की। स्वागत समिति के सदस्य और उत्कल यूनिवर्सिटी के रीडर डा. वीरेन्द्र नायक और जानीमानी सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती कृष्णा मोहंती ने भी प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया।

नई राज्य कमेटी का चुनाव सर्वसम्मिति से हुआ जिसमे कॉमरेड वीणापाणि दास अध्यक्ष व कॉ. स्वयंप्रभा सचिव चुनी गई।

आशा वर्करों ने ज्ञापन सौंपा

रेवाड़ी (हरियाणा) : 16 फरवरी को आशा कार्यकर्ता यूनियन (सम्बन्धित ऑल इण्डिया यूटीयूसी) के बैनर तल आशा कर्मियों ने पदर्शन कर उपायुक्त रेवाड़ी के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को एक ज्ञापन भेजा। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व यूनियन की प्रधान राजबाला एवं सचिव सुषमा यादव ने किया।

ज्ञापन में मांग की गई कि आशा वर्करों को आइटमवाइज मेहनताने की बजाय 15000 रुपये प्रतिमाह मेहनताना दिया जाए, स्वास्थ्य केन्द्र व हस्पताल जाने-आने के लिए फ्री बस पास सुव्रिधा उपलब्ध कराई जाए, उन्हें स्वास्थ्य विभाग के एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा के इन्तजाम किये जाएं, स्वास्थ्य केन्द्र व हस्पताल में आशारूम बनाये जाएं और जहां आशा वर्कर कार्यरत है, कार्यालय खोला जाए और साल में सर्दी-गर्मी की पोशाक दी जाए।

यूनियन के प्रान्तीय सलाहकार कॉ. राजेन्द्र सिंह एडवोकेट के अलावा आशा

वर्कर नरकेश, बिमला, पिंकी, कृष्णा देवी, किसान-मजदूर नेता कॉ. रामकुमार, कर्मचारियों के संगठन जेपीए के नेता शेर सिंह ने भी प्रदर्शनकारियों ने बात रखी।

वामपंथी पार्टियों द्वारा की गई संयुक्त रैली

जौनपुर(उ.प्र.) : महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचारे रोकने, मनरेगा में कटौती बंद करने, एफडीआई रद्द करने, काला धन लाने, शिक्षण संस्थानों आदि में आरएसएस एवं अन्य साम्प्रदायिक तत्वों को घुसाने से बाज आने, लव जेहाद, धर्मान्तरण, घर वापसी के नाम पर नफरत फैलाना बंद करने, अल्पसंख्यकों, दलितों व महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने आदि 9 सूत्री मांगों को लेकर एसयूसीआई(सी), सीपीआई, सीपीआई(एम), आरएसपी, फारवर्ड ब्लाक, सीपीआई (एमएल) -लिबरेशन को लेकर वाम दलों की संयुक्त संघर्ष समिति जौनपुर की ओर से 10 फरवरी को कलेक्ट्रेट के समक्ष एक संयुक्त रैली की गई। पॉलिटेक्निक चौराहे से शुरू हुई रैली रुहट्टा, ओलन्दगंज होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच कर सभा में तब्दील हो गई।

जौनपुर

अध्यक्षमण्डली में शामिल वामदलों के जगदीशचन्द्र अस्थाना, कल्पनाथ गुप्त, किरन शंकर सिंह, गोपालमणि त्रिपाठी ने सभा की अध्यक्षता की। सभा का संचालन सुभाष चन्द्र पटेल ने किया। सभा के शुरू में कॉ. दिलीप कुमार ने क्रान्तिकारी गीत पेश किया। सभा को एसयूसीआई(सी) के कॉ. प्रमोद कुमार शुक्ल, रविशंकर मौर्य, महेन्द्रनाथ मौर्य, राजेन्द्र तिवारी, सीपीआई से कॉ. जयप्रकाश सिंह, उदल यादव, सुभाष सरोज, सीपीआई(एम) से कॉ. विजयप्रताप सिंह, जयालाल सरोज, इन्द्रजीत पाल, नीरज श्रीवास्तव, आएसपी से गोपालमणि त्रिपाठी ने सम्बोधित किया। अंत में जिला अधिकारी जौनपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया।

"Print-line
Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."